एम0जे0सी0आर0 कमांक– 844/2023

शासन वि0 रजत व अन्य

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20.11.2023	इस न्यायालय के आपराधिक प्रकरण कमांक 744/2019 में अभियुक्त रजत उर्फ राजू गुर्जर पिता लक्ष्मण सिंह गुर्जर, भूरा उर्फ संजय पिता रामसिंह चौधरी निवासीगण–देवास जिला देवास म.प्र. को न्यायालय से अनुपस्थित हो जाने के कारण, अभियुक्तगण के जमानत मुचलके जप्त कर अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरफतारी वारंट जारी किया गया था जिसके पश्चात आरोपीगण के अनुपस्थिति की दशा में दिनांक 06.05.2019 को गिरफतारी वारंट जारी किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण/जमानतदार से 5000–5000रूपये **(पांच–5000 हजार रूपये)** मुचलका राशि की वसूली हेतु आज दिनांक को धारा 446 दं0प्र0सं0 के तहत विविध आपराधिक प्रकरण के अभियुक्तगण/जमानतदार के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। इस न्यायालय के उक्त आदेश के कम में अभियुक्तगण/जमानतदार से मुचलका/जमानत राशि की वसूली बावत् अभियुक्तगण/ जमानतदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये कि क्यों न आपसे मुचलका राशि वसूल की जाये। प्रकरण अभियुक्तगण/जमानतदार से मुचलका/ जमानत राशि वसूली बावत् कारण बताओ नोटिस राशि वसूली हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो। **श्री प्रियांशु पाण्डे** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** **जिला देवास म.प्र.** **पुनश्च :–** राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0। अभियुक्त रजत उर्फ राजू जिला जेल देवास से उपस्थित। अभियुक्त रजत उर्फ राजू एवं संजय उर्फ भुरा की ओर से अधिवक्ता इरफान कुरेशी को कारण बताओ नोटिस की प्रति दी गई। अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने सूचना पत्र का जवाब न देना व्यक्त किया एवं मौखिक निवेदन किया कि आरोपी नियत पेशी दिनांक को मजदूरी करने बाहर चले जाने एवं अभियुक्त संजय की माता का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने एवं उपचार हेतु बाहर ले जाने के कारण उसके अभिभाषक से संपर्क नहीं कर सकने के कारण पेशी तारीख	

Scanned with OKEN Scanner

06.05.2019 को उपस्थित नहीं हो सके थे तथा निरंतर अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध गिरफतारी वारंट का आदेश किया गया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कम से कम मुचलका/जमानत राशि जप्त की जावे। अभियुक्त/जमानतदार की ओर से अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन उपरांत अभियुक्त/जमानतदार के मुचलके/जमानत की संपूर्ण राशि जप्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रत्येक अभियुक्त/ जमानतदार के मुचलके/जमानत राशि में से राशि **500**/– जप्त की जाती है एवं शेष राशि माफ की जाती है।

कार्यवाही समाप्त। एम जे सी आर मूल प्रकरण के साथ संलग्न की जाकर प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस में दर्ज कर मूल प्रकरण के साथ अभिलेखागार में जमा हो।

श्री प्रियांशु पाण्डे
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी
जिला देवास म.प्र.

पुनश्च :–

आदेशानुसार प्रत्येक अभियुक्त ने राशि ऑन लाईन 014062, 014054 पर शासन के खाते में जमा की गई। रसीद की एक प्रति अभियुक्तगण की ओर से उसके अधिवक्ता को प्रदान की गई ।

प्रकरण पूर्ववत् अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

श्री प्रियांशु पाण्डे
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी
जिला देवास म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner